

## राज्य / जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु प्रस्ताव अनुमोदन प्रक्रिया

### भामाशाह / प्रेरकों द्वारा किये जाने वाले कार्य—

1. भामाशाह / दानदाता द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना।
2. भामाशाह / दानदाता द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन के साथ दस्तावेज अपलोड करना व प्रोजेक्ट अनुसार प्रेरकों को नामित करना।
3. प्रेरक नामित होने पर ही प्रेरक द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना।

### विद्यालय / ब्लॉक / जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों के कार्य—

#### भामाशाह / दानदाता आवेदन के लिए—

1. ज्ञान संकल्प पोर्टल से जिले नोडल द्वारा जिले वार प्राप्त आवेदनों को अपने दस्तावेज सहित डाउनलोड करना।
2. जिला नोडल द्वारा आवश्यकतानुसार संस्था प्रधानों को ऑफलाईन प्रेषित कर कार्य व दस्तावेज का प्रमाणीकरण करवाना व विद्यालय वार अभिशंषा प्राप्त करना।
3. जिले नोडल द्वारा अपने लॉगिन पर आवेदनों का विद्यालयों से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर जांच कर निरस्तीकरण अथवा अनुमोदन व अभिशंषा करना तथा उसके उपरान्त निर्णयानुसार हस्ताक्षरित आवेदनों को अपने लॉगिन से पोर्टल पर अपलोड कर अग्रेषित करना। (केवल आवेदन व निर्णय के सम्बन्ध दस्तावेज को ही अपलोड किया जाना है। भामाशाह / दानदाता द्वारा संलग्न दस्तावेज को नहीं क्योंकि वे पहले से पोर्टल पर उपलब्ध है।)
4. यदि किसी भी भामाशाह द्वारा एक प्रोजेक्ट में एक जिले से ज्यादा के विद्यालयों को समाहित किया है तो प्रत्येक जिले द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों की अभिशंषा कर अग्रेषित करना।
5. जिले से अग्रेषित आवेदन राज्य स्तर पर निदेशालय पर प्राप्त होगी। राज्य स्तर पर उनका परीक्षण करना तथा ऑफलाईन राज्य सरकार को प्रेषित करना।

#### प्रेरक आवेदन के लिए—

1. ज्ञान संकल्प पोर्टल से जिले नोडल द्वारा प्रेरकों हेतु प्राप्त आवेदनों को अपने दस्तावेज सहित डाउनलोड करना।
2. जिले नोडल द्वारा अपने लॉगिन पर प्रेरक आवेदनों का विद्यालयों से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर जांच कर निरस्तीकरण अथवा अनुमोदन व अभिशंषा करना तथा उसके उपरान्त निर्णयानुसार हस्ताक्षरित प्रेरक आवेदनों को अपने लॉगिन से पोर्टल पर अपलोड कर अग्रेषित करना। (केवल आवेदन व निर्णय के सम्बन्ध दस्तावेज को ही अपलोड किया जाना है। प्रेरकों द्वारा संलग्न दस्तावेज को नहीं क्योंकि वे पहले से पोर्टल पर उपलब्ध है।)
3. यदि विभिन्न भामाशाहों द्वारा एक प्रोजेक्ट में एक जिले से ज्यादा के विद्यालयों को समाहित किया है तो प्रत्येक जिले द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों की अभिशंषा कर अग्रेषित करना।
4. जिले से अग्रेषित आवेदन राज्य स्तर पर निदेशालय पर प्राप्त होगी। राज्य स्तर पर उनका परीक्षण करना तथा ऑफलाईन राज्य सरकार को प्रेषित करना।